

IMMEDIATE/RTI MATTER

No. 2/2/2017 – RTIC/06896

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi-110001.

Dated the 21st December, 2017


OFFICE MEMORANDUM

Subject: Transfer of RTI application under RTI Act, 2005

In continuation of this Department's letter No.2/2/2017-RTIC/06763 dated 18.12.2017 transferring the RTI Application dated 12.12.2017 (reg. No. DOP&T/R/2017/06763 & 06896), of Shri Sumer Singh to the D/o Expenditure, after reviewing the matter further, the RTI Application is being further transferred to the Institute of Secretariat Training Management, Department of Pensions & Pensioners' Welfare, Staff Selection Commission and Department of Administrative Reforms & Public Grievances under Section 6(3) of the RTI Act, 2005, to provide information on point 1-2 of the RTI Application dated 12.12.2017, in so far as it relates to their Public Authority. The RTI Application has also been forwarded to the concerned CPIO(s) of this Department to whom the information sought closely pertains.

2. Application fee of Rs. 10/- has been received in this Department by IPO No. 70C 863060 & cash of Rs.5/- vide receipt No. 37578 dated 14.12.2017.

Encl.: as above.


(A.K. Singh)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011 2309 3214

To:

The CPIO, RTI Cell,
Institute of Secretariat Training Management,
Old JNU Campus, New Delhi.

The CPIO, RTI Cell
Department of Pensions & Pensioners' Welfare,
Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110003.

The CPIO, RTI Cell
Department of Administrative Reforms & Public Grievances,
Sardar Patel Bhawan, Parliament Street,
New Delhi.

The CPIO, RTI Cell,
Staff Selection Commission,
Block-12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi- 110003..

US (Admn.), DOPT - for Ad.1
US (B&A), DOPT - for cash



US (Trg.), DOPT - For Trg Division

Copy for information to:-

यह आपके उपर्युक्त सुचना के आवेदन का जवाब नहीं है ! आपके सुचना के अधिकार आवेदन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आर टी आई प्रकोष्ठ द्वारा ऐसे केंद्रीय लोक सुचना अधिकारीयो/प्राधिकारियो/मंत्रालयो को हस्तांतरित किया जा रहा है जो विषय का निपटान कर सकते है और इसलिए उपर्युक्त केंद्रीय लोक सुचना अधिकारी/प्राधिकारी ही आपके आवेदन का जवाब देंगे ! अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गयी सुचना के सन्दर्भ में ऊपर उल्लिखित लोक प्राधिकारी से संपर्क करे !

उप्युक्त लोक प्राधिकरण के जवाब से असंतुष्ट होने पर प्रथम अपील आप सीधे उप्युक्त लोक प्राधिकरण में भेज सकते है ! यदि आप उपर्युक्त आवेदन के स्थानांतरण से असंतुष्ट हो तो आप प्रथम अपीलिय अधिकारी श्री डी. के सेनगुप्ता, उप सचिव (जे.सि.ए) डी ओ पि टी, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली - ११०००१ - दूरभाष - 23092982, के सम्मक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है!

IMMEDIATE/RTI MATTER

No. 2/2/2017 – RTIC/06763

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi-110001.

Dated the 18th December, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Transfer of RTI application under RTI Act, 2005

An RTI application dated 12.12.2017 (reg. No. DOP&T/R/2017/006763), of Shri Sumer Singh, is being transferred to the Department of Expenditure under Section 6(3) of the RTI Act, 2005, as the subject matter of information also pertains to the aforementioned public authority. The RTI Application has also been forwarded to the concerned CPIO of this Department to whom the information sought closely pertains.

2. Application fee of Rs. 10/- has been received in this Department by IPO No. 70C 863060 & cash of Rs.5/- vide receipt No. 37578 dated 14.12.2017.

Encl.: as above.

(A.K. Singh)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel: 011 2309 3214.

To,

The CPIO, RTI Cell,
Department of Expenditure,
5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi- 110003.

US (Admn.), DOPT

Copy for information to:-



यह आपके उपर्युक्त सूचना के आवेदन का जवाब नहीं है! आपके सूचना के अधिकार आवेदन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आर टी आई प्रकोष्ठ द्वारा ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/प्राधिकारियों/मंत्रालयों को हस्तांतरित किया जा रहा है जो विषय का निपटान कर सकते हैं और इसलिए उपर्युक्त केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/प्राधिकारी ही आपके आवेदन का जवाब देंगे। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के सन्दर्भ में ऊपर उल्लिखित लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।

उपरोक्त लोक प्राधिकरण के जवाब से असंतुष्ट होने पर प्रथम अपील आप सीधे उपरोक्त लोक प्राधिकरण में भेज सकते हैं। यदि आप उपर्युक्त आवेदन के स्थानांतरण से असंतुष्ट हो तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री डी. के. सेनगुप्ता, उप सचिव (जे.सि.ए) डी ओ पि टी, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली - ११०००१ - दूरभाष - 23092982, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सेवा में

उप सचिव(आई.आर.),
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
नार्थ ब्लॉक, कमरा नं.-281, नई दिल्ली-110001.

3 Ms. Manjula
Junja

US (Admin)
[For S.O. Ad-2]

D/o Expt.

[For point 2-66]

DDO Manual

4 APPW 5 PARP 6 ISM 7 SSC

विषय:-जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

8 Sh. V. K. Bhatia, US (Jr).


महोदय,

प्रार्थी, जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना प्राप्त करना चाहता है कि कृपया उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

- ✓ 1. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार में कितने डी.डी.ओ अर्थात् आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत है।
- ✓ 2. उनका ग्रेड-पे/वेतनमान (छठे एवं सातवें वेतन आयोग के अनुसार) कितना है।
- ✓ 3. डी.डी.ओ अर्थात् आहरण एवं वितरण अधिकारी के क्या कर्तव्य एवं अधिकार है।
- ✓ 3. डी.डी.ओ अर्थात् आहरण एवं वितरण अधिकारी को नियमानुसार क्या-क्या कार्य सौंपे जाते हैं।
4. डी.डी.ओ अर्थात् आहरण एवं वितरण अधिकारी क्या-क्या कार्य करने के लिए बाध्य होता है।
6. क्या डी.डी.ओ अर्थात् आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रशासनिक कार्य सौंपे जा सकते हैं।
7. निर्धारित फीस राशि रुपये 10/- भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 70C 8 63060 के रूप में संलग्न है।

धन्यवाद।

प्रार्थी



06762/Rtic/2017
14/12/17

06765/Rtic/2017
14/12/17

06895/Rtic/2017
21/12/17

06894/Rtic/2017
21/12/17

06896/Rtic/2017
21/12/17

21/12/17

11/01

18/12/17

11/12/17